उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 1473-A/ कार्मिक-2/ 2002

देहरादून, 22 नवम्बर, 2002

उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002

1– सामान्य नियम

- सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यों का निर्वहन करना।
- शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करना।
- कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध करना।
- घरेलू कार्य में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवायोजित न करना।

2– सभी लोगों के साथ समान व्यवहार

- प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सभी जाति, पंथ या धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा।

- कोई सरकारी कर्मचारी किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

3– मादक पान तथा औषधि का सेवन

- मादक पान अथवा औषधि सम्बन्धी प्रवृत्त किसी कानून का दृढ़ता से पालन करेगा।
- कर्तव्य पालन के दौरान मादक पान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा।
- सार्वजनिक स्थान में मादक पान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा।
- मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा।

4– राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना

- किसी भी राजनीतिक दल अथवा संस्था जो राजनीति में हिस्सा ले, का सदस्य नहीं होगा।

- ऐसा आंदोलन जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करता हो, में न तो हिस्सा लेगा और न ही चन्दा या अन्य रीति से मदद करेगा।

- अपने परिवार के किसी भी सदस्य को उक्त प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होने से रोकने का प्रयत्न करेगा।

4– राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना

- क्या कोई आंदोलन इस नियम की परिधि में है? इस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा।
- किसी विधान मण्डल या स्थानीय निकाय के चुनाव में न तो प्रचार करेगा और न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा।

किन्तु–

- कोई सरकारी कर्मचारी जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है।
- चुनाव में विधि द्वारा निर्धारित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन (यथा– रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी आदि की हैसियत से) में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी चुनाव में मदद करना इस नियम का उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।

5– प्रदर्शन तथा हड़ताल

- कोई सरकारी कर्मचारी न तो कोई प्रदर्शन करेगा या ऐसे प्रदर्शन में भाग लेगा जो भारत की प्रभुता तथा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एवं सार्वजनिक सुव्यवस्था के प्रतिकूल हो।
- जिससे न्यायालय के अवमानना या मानहानि होती हो।
- अपराध करने के लिए उत्तेजना मिलती हो।
- स्वयं या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में न तो कोई हड़ताल करेगा और न ही ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

6–सरकारी कर्मचारियों का संघों का सदस्य बनना

- कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्यकलाप भारत की प्रभुता तथा अखण्डता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों।

7– समाचार पत्रों या रेडियो से सम्बन्ध रखना

सरकारी कर्मचारी बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के–

- किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतः या अंशतः स्वामी नहीं बनेगा।
- समाचार पत्र के संचालन, प्रबंधन या सम्पादन में भाग नहीं लेगा।
- किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा।
- किसी समाचार पत्र या पत्रिका को अपने नाम, छद्म नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से लेख नहीं भेजेगा।

Note- साहित्यिक/कलात्मक/वैज्ञानिक स्वरूप के लेखों हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

8– सरकार की आलोचना

कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में, लेख में, समाचार पत्रों को भेजे किसी पत्र में या सार्वजनिक कथन में, कोई ऐसी बात व्यक्त नहीं करेगा–

- जो वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की आलोचना हो।
- उत्तराखण्ड सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की चालू नीति या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो।
- जिससे उत्तराखण्ड सरकार या केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो।
- जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो।

9– चन्दे

सरकारी कर्मचारी बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के–

- चन्दा या वित्तीय सहायता नहीं माँग सकता है और न ही स्वीकार कर सकता है।

Note- किन्तु धर्मार्थ प्रयोजन जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों से हो, हेतु चंदा या अन्य वित्तीय सहायता माँगने, स्वीकार करने या इकट्ठा करने में भाग लेने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

10– भेंट

- स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी ऐसे व्यक्ति से , जो उसका निकट सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह धन, पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा।
- अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो,किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

Note- किन्तु अपने जातीय मित्र **(Personal Friend)** से मूल वेतन के दसांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी निकटस्थ सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है।

11– सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन

- कोई सरकारी कर्मचारी, बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के कोई मान पत्र या विदाई पत्र नहीं लेगा, न कोई प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा। न ही अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा।

Note- किन्तु यह नियम ऐसे विदाई समारोह के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है जो निजी या अरीतिक स्वरूप का हो और जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके सेवानिवृत्त होने/सरकारी सेवा छोड़ने/स्थानान्तरण के अवसर पर आयोजित हो।

12– असरकारी व्यापार या नौकरी

- कोई सरकारी कर्मचारी, बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में भाग नहीं लेगा और न ही कोई रोजगार करेगा।

Note- किन्तु कोई सरकारी कर्मचारी स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन न पड़े।

13– कम्पनियों का निबंधन, प्रवर्तन (Promotion)तथा प्रबंध

- कोई सरकारी कर्मचारी, बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के इंडियन कम्पनीज एक्ट, 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन निबद्ध किसी बैंक या अन्य कम्पनी के निबंधन, प्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा।

Note- किन्तु कोई कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1912 के अधीन निबद्ध सहकारी समिति या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक याा धमार्थ समिति के निबंधन, प्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकता है।

14– किसी सम्बन्धी (रिश्तेदार) के विषय में कार्यवाही

- जब कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उसका निकट या दूर का सम्बन्धी हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई कार्यवाही करता है (पक्ष में या विरोध में) तो ऐसे मत/प्रस्ताव/कार्यवाही के साथ यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह व्यक्ति उसका सम्बन्धी है अथवा नहीं तथा इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है?
- यदि सरकारी कर्मचारी किसी मत/प्रस्ताव/कार्यवाही के सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय की शक्ति रखता है और जब वह प्रस्ताव/मत/कार्यवाही उस व्यक्ति के सम्बन्ध में है, जो उसका निकट अथवा दूर का सम्बन्धी है तो वह इस तरह के मामलों में कोई निर्णय नहीं देगा बल्कि उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को कारण व सम्बन्ध के स्वरूप के साथ प्रस्तुत कर देगा।

15– चल अचल तथा बहूमूल्य सम्पत्ति

- कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टा, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करता है या बेचता है तो इसकी जानकारी समुचित प्राधिकारी को देगा।
- यदि उक्त व्यवहार किसी नियमित अथवा ख्यातिप्राप्त व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से किया गया हो, तो समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
- कोई सरकारी कर्मचारी अपने 01 माह के वेतन अथवा 5000 जो भी कम हो से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति का क्रय विक्रय करे तो इसकी सूचना तुरंत समुचित प्राधिकारी को करेगा।

15– चल अचल तथा बहूमूल्य सम्पत्ति

- प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरांत हर 05 वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सामान्य रूप से अपने नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी समस्त अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने स्वयं अर्जित किया हो या दान में पाया हो।
- समय–समय पर ऐसे हिस्सों या लगी हुई पूजियों की घोषणा करेगा जो स्वयं उसके, उसकी पत्नी अथवा उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित परिवार के सदस्य द्वारा रखी गई हो अथवा अर्जित की गई हो।

15– चल अचल तथा बहूमूल्य सम्पत्ति

- कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 49/XXX(2)/ 2006, दिनांक 21 फरवरी 2006 के अनुसार प्रत्येक सेवा के श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रारूप में वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जायेगा।
- दिनांक 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित विवरण अगले वर्ष 31 जनवरी तक नियुक्ति अधिकारी को अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा।

16– बहु विवाह

- कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, तत्समय लागू किसी विधि के अधीन किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा।

- कोई महिला सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी एक पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी।

17– सुख सुविधाओं का समुचित प्रयोग

- कोई सरकारी सेवक लोक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा उसे प्रदत्त सुविधाओं का दुरूपयोग अथवा असावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करेगा। जैसे–
- सरकारी वाहन का गैरसरकारी कार्य के लिए प्रयोग।
- निजी कार्य हेतु सरकारी टेलीफोन का उपयोग करना।
- सरकारी निवास स्थान और फर्नीचर के प्रति उपेक्षा बरतना।
- गैर सरकारी कार्य के लिए सरकारी लेखन सामग्री का प्रयोग करना।

18– खरीदारियों के लिए मूल्य देना

- कोई सरकारी कर्मचारी को, उस समय तक जब तक कि किश्तों में मूल्य देना प्रथानुसार या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक कि किसी वास्तविक व्यापारी के पास उसका उधार लेखा खुला न हो, उन वस्तुओं का जिन्हें उसने खरीदा है, शीघ्र व पूर्ण मूल्य देना होगा।

19– बिना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग करना

- कोई सरकारी कर्मचारी बिना यथोचित और पर्याप्त मूल्य दिये किसी ऐसी सेवा या मनोरंजन का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिए कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो। उदाहरणार्थ–
- किसी भी किराये पर चलने वाले वाहन में बिना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा।
- बिना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा शो नहीं देखेगा।

20– दूसरों की सवारी वाहन प्रयोग में लाना

- कोई सरकारी कर्मचारी बिना विशेष परिस्थितियों में –
- किसी ऐसी सवारी वाहन को प्रयोग नहीं करेगा जो किसी गैर सरकारी व्यक्ति की हो।

अथवा

- किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की हो, जो उसके अधीन हो।

21– अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिये खरीदारियां

- कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर से, खरीदारियां करने के लिए न तो स्वयं कहेगा और न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो उसके साथ रह रहा हो, कहने की अनुमति देगा।

Note- किन्तु यह नियम उन खरीदारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें करने के लिए सरकारी कर्मचारी से सम्बद्ध निम्नकोटि के कर्मचारी वर्ग से कहा जाए।

THANKS